राजस्व वाद 66 / 2021
जीसीएमएस नंबर 2021 / 182
टीपुराम वगैरह बनाम् पुनाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 66 / 2021

वादीगण–

1. टीपुराम पुत्र पुनाराम
2. पपूराम पुत्र पुनाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र पुनाराम

जातियान–हरिजन ,निवासीगण–टांगला,तहसील–जायल,जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. पुनाराम पुत्र चन्द्राराम उर्फ गुवाराम
2. सामी देवी पुत्री पुनाराम
3. गुरगा देवी पत्नी गणपतराम
4. हीरालाल पुत्र गणपतराम
5. महेन्द्र पुत्र गणपतराम
6. नेनी पुत्री गणपतराम

जातियान–हरिजन, निवासीगण–टांगला, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

7. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वंय उपस्थित ।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 स्वंय उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 7 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा टांगला तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 85 व खेत खसरा नंबर 86 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 पुनाराम के साथ सहखातेदार तथा मौजा टांगली के खेत खसरा नंबर 53 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 को सहखातेदार घोषित किया जाकर राजीनाम / सहमति / लोक अदालत की भावना अनुसार निम्न प्रकार से अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी टीपुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा टांगला का खेत खसरा नंबर 85 रकबा 0. 1133 हैक्टेयर में से 1 / 3 दक्षिणी भाग व खेत खसरा नंबर 86 रकबा 1.4083 हैक्टेयर में से 1 / 2 हिस्सा पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी पपुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा टांगला का खेत खसरा नंबर 85 रकबा 0. 1133 हैक्टेयर में से 1 / 3 मध्य भाग रखा गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 66/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/182
टीपुराम वगैरह बनाम् पुनाराम वगैरह

3. वादी ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा टांगला का खेत खसरा नंबर 85 रकबा 0.1133 हैक्टेयर में से 1/3 उतरी भाग व खेत खसरा नंबर 86 रकबा 1.4083 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 पुनाराम के हक बंट में मौजा टांगली का खेत खसरा नंबर 53 रकबा 0.9793 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 रामी देवी के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जरिये हकतर्क जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – मुबलिग – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट [illegible] खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

15/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner